



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179824

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 49834 सन् 2025

कुल भूषण एवं 3 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अतुल शुक्ला, मनोज कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., राहुल मिश्रा

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मिश्रा की ओर से ब्रीफ होल्ड करते हुए अधिवक्ता श्री प्रभु नारायण तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह आवेदन वाद संख्या 342 वर्ष 2009 (राज्य बनाम कुल भूषण एवं अन्य), धारा 498-ए भा.दं.सं. एवं 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना-दादरी, जनपद-गौतम बुद्ध नगर, जो मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2005, थाना-दादरी, जनपद-गौतम बुद्ध नगर से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, गौतम बुद्ध नगर के समक्ष लंबित है, की कार्यवाही को निरस्त किए जाने तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर द्वारा दिनांक 28.09.2005 को पारित आदेश को भी निरस्त किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 16.1.2026

को पहले ही समझौता हो चुका है और उक्त समझौते का सत्यापन संबंधित न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा दिनांक 16.1.2026 को कर दिया गया है, अतः वर्तमान मामले का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए।

4. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए तथ्यों पर विवाद नहीं किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है और उक्त कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है, जिसका संबंधित न्यायालय द्वारा विधिवत् सत्यापन किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समझौते के दृष्टिगत आपराधिक कार्यवाही में दोषसिद्धि दर्ज होने की वस्तुतः कोई संभावना नहीं है।
6. मामले की समग्रता में परीक्षण करने के पश्चात्, इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान मामले में आपराधिक कार्यवाही मूलतः वैवाहिक विवाद का परिणाम रही है; और ऐसी कोई प्रबल परिस्थिति नहीं है जिसके कारण पक्षकारों द्वारा समझौता कर लिए जाने के पश्चात् भी आवेदकों पर अभियोजन चलाया जाना चाहिए। यह कहना अनावश्यक है कि समझौते के संदर्भ में पक्षकारों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, दोषसिद्धि दर्ज होने की व्यावहारिक रूप से कोई संभावना नहीं है, भले ही प्रश्नगत एफ.आई.आर. के अंतर्गत मामले का विचारण किया जाए। दूसरे शब्दों में, विचारण की संपूर्ण कवायद केवल निष्फल कवायद होगी। इसके विपरीत, विवाद की प्रकृति तथा इस तथ्य को देखते हुए कि विवादित पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, यह न्यायहित में होगा कि प्रश्नगत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाए।
7. समझौते तथा पीड़ित और गलत कृत्य करने वाले के मध्य समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित या न्यायहित के प्रतिकूल होगा अथवा आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए।



8. इस तथ्य को देखते हुए कि पक्षकार, जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है, मामले को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं और इस तथ्य को देखते हुए कि दिनांक 16.1.2026 के समझौते के आधार पर मामले का पक्षकारों के मध्य पारस्परिक रूप से निपटारा हो गया है, मामले को आगे बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
9. अतः, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा *परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एस.सी.सी. 641, जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, (2019) 5 एस.सी.सी. 688* में प्रतिपादित सुस्पष्ट विधि के सिद्धांतों के दृष्टिगत, उपर्युक्त वाद की कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
10. वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

25 अगस्त, 2026

भास्कर

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)